न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 812/2024

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बृजाराम पुत्र फुसाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. लीलूराम पुत्र फुसाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. दलीप कुमार पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. बलवीर पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. रामस्वरूप पुत्र गुडी देवी पुत्री फुलाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. माया देवी पुत्री गुडी पुत्री फुलाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. सुखमा पत्नी बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि गुडीदेवी पुत्री फुलाराम व 1/12 हिस्सा भूमि बिशनाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुडीदेवी पुत्री फुलाराम व बिशनाराम पुत्र फुलाराम के नाम दर्ज है। वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान बृजाराम, लीलूराम, बिशनाराम, गुडी पि0 फुलाराम के नाम दर्ज हुई जिसमें बिशनाराम व गुडी फौत हो चुके है तथा बिशनाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 है एवं गुडी के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के भानजा व भानजी व भाई, बहिन एवं प्रतिवादी संख्या 8 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की माता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है व प्रतिवादी संख्या 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रति[illegible] संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है।बाद हक त्याग रोही मौजा [illegible] के खाता स0 55/53 की कुल 6. 7140 हैक्ट भूमि में से मृतक गुडी के नाम दर्ज 1/1[illegible] हिस्सा भूमि में वादी [illegible]वादी संख्या 3 ता 5 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:37:33 IST
Reason: SelfAttested

1/36 हिस्सा व मृतक बिशनाराम के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 प्रत्येक 1/48 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा नहराना सम्वत 2073–76 खाता स0 55/53, मृत्यु प्रमाण बिशनाराम व गुडी पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुडीदेवी पुत्री फुलाराम व बिशनाराम पुत्र फुलाराम के नाम दर्ज है। वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान बृजाराम, लीलूराम, बिशनाराम, गुडी पि0 फुलाराम के नाम दर्ज हुई जिसमें बिशनाराम व गुडी फौत हो चुके है तथा बिशनाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 है एवं गुडी के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के भानजा व भानजी व भाई, बहिन एवं प्रतिवादी संख्या 8 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की माता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है व प्रतिवादी संख्या 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा नहराना तहसील नो[illegible]ता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में से मृतक गुडी के नाम द[illegible] व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/36 [illegible]स्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/36 हिस्सा व मृतक बिशनाराम के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5 प्रत्येक 1/48 हिस्सा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि गुडीदेवी पुत्री फुलाराम व 1/12 हिस्सा भूमि बिशनाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुडीदेवी पुत्री फुलाराम व बिशनाराम पुत्र फुलाराम के नाम दर्ज है। वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान बृजाराम, लीलूराम, बिशनाराम, गुडी पि0 फुलाराम के नाम दर्ज हुई जिसमें बिशनाराम व गुडी फौत हो चुके है तथा बिशनाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 है एवं गुडी के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के भानजा व भानजी व भाई, बहिन एवं प्रतिवादी संख्या 8 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की माता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है व प्रतिवादी संख्या 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है।बाद हक त्याग रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में से मृतक गुडी के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/36 हिस्सा व मृतक बिशनाराम के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 प्रत्येक 1/48 हिस्सा भूमि पर काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक बिशनाराम व गुडउी के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:37:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में से 1/12

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा भूमि में मृतक गुडी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक बिशनाराम के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि में बिशनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 प्रत्येक 1/48 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:37:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 812/2024

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बृजाराम पुत्र फुसाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. लीलूराम पुत्र फुसाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. दलीप कुमार पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. बलवीर पुत्र बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. रामस्वरूप पुत्र गुडी देवी पुत्री फुलाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. माया देवी पुत्री गुडी पुत्री फुलाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. सुखमा पत्नी बिशनाराम जाति धानक निवासी नहराना तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 812 सन 2024 निर्णय दिनांक 04/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगीलाल देहडू एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 55/53 की कुल 6.7140 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में मृतक गुडी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक बिशनाराम के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा भूमि में बिशनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 प्रत्येक 1/48 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:37:33 IST
Reason: SelfAttested